

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- १८९ / १जी-FP/UK/ROAD/12710/2015 देहरादून: दिनांक: २९ सितम्बर, 2015

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद बागेश्वर में बालीघाट-धरमधर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्राथमिक पाठशाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.६३ है० वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/ROAD/12710/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः प्रस्ताव में प्रति है० ५० से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
Jefubh

(एस०टी०एस० लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

संख्या / १जी-FP/UK/ROAD/ 12710 /2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊ, नैनीताल।
- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा।
- अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

विषय:- जनपद बागेश्वर में बालीघाट-धरमधर मोटर मार्ग के खितोली पुल से गुरगुच्चा प्राथमिक पाठशाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.63 हेक्टर वन भूमि हस्तान्तरण
FP/UK/ROAD/12710/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर में 0.18 हेक्टर संरक्षित वन भूमि एवं 0.45 हेक्टर सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 0.63 हेक्टर वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति हेक्टर 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव को सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेख्या भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निवेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 29/09/2015

स्थान : देहरादून